THE

ChangeMakers

October 2017 • Issue 02

Transforming Rural Bihar

स्वच्छता विशेषांक

Voices from the Field
Page 03

बाढ़ में जीविका ने निभाई अपनी सार्थक भूमिका
Page 09

बड़की दीदी
Page 15

सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा शौचालय
Page 17

From the editor's desk

Greetings

Gratitude for the overwhelming response of the 1st edition of " The Changemakers"

Presenting the special edition on "Swachata" describing the endeavors of JEEViKA aiming at "Open Defecation Free Bihar". Behaviour Change Communication is key in achieving an open defecation free society and Jeevika used several tools such as Community Led total Sanitation, video disseminations at village level for sensitizing the community, shaming and punishing the defaulters and the likes.

Significantly, Jeevika *didis* initiated the" Gaddha Khodo Abhiyan" (Pit digging mission) across the State for toilet construction on the 25th&26th September, 2017 wherein a record of 2,48,000 pits were dug. Over 60,000 pits dug have been converted into toilets with superstructure till date. The zeal and determination of the Jeevika didis has instilled accelerated vigour in the Mission towards Open Defecation Free Bihar. The Lead Story aptly explains the initiatives undertaken and 'बड़की दीदी' explains the health consequences of open defecation

We salute our JEEVIKA didis who extended their support in helping their fellow SHG members grappled in the devastating floods and also actively participated in the relief works undertaken by the Government. Their contributions has been captured in the article . ''बाढ़ में जीविका ने निभाई सार्थक भूमिका''

We appreciate your support and solicit your suggestions

Happy Reading

Regards

Mahua Roy Choudhury

mahua@brlp.in

EDITORIAL TEAM

- **Braj Kishore Pathak**
  Officer on Special Duty
- **Mrs. Mahua Roy Chaudhury**
  Program Coordinator (G&KM)
- **Mr. Pawan Kr. Priyadarshi**
  Project Manager (Communication)
- **Mr. Pratyush Gaurav**
  Young Professional

संदेश

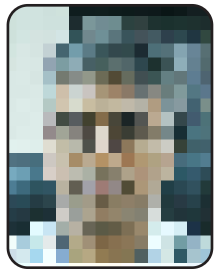

श्री बालामुरूगन डी. (भा.प्र.से.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका (BRLPS)

राज्य मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"

अब बिहार में नारियों की पूजा यानी सम्मान भी हो रहा है और स्वच्छता रूपी देवता भी हर घर में विराज रहे हैं। इनमें जीविका की अहम् भूमिका रही है। शराबबंदी के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है, और हर घर में शौचालय निर्माण कार्यक्रम ने उनके सम्मान में चार–चांद लगा दिया है। अगस्त एवं सितम्बर माह जब बिहार के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में थे, तब जीविका दीदियों ने बाढ़ पीड़ितों को लड़ने का हौसला दिया। बाढ़ से त्रस्त जनता की तरफ जीविका दीदियों ने मदद का हाथ बढ़ाया। रात–दिन एक कर जीविका दीदियों ने धैर्य का परिचय दिया और जिला प्रशासन के साथ कंधें से कंधा मिलाकर राहत कार्य में अपनी भागीदारी निभायी। दीदियों के इस जज्बे को नमन और नाउम्मीदी के बीच उम्मीद की किरण को जलाये रखने के लिए मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद एवं बधाई।

पिछले कुछ महीनों में जीविका दीदियों द्वारा शौचालय निर्माण को आंदोलन का रूप दे दिया गया है। बिहार के हर कोने में शौचालय निर्माण एक उत्सव सरीखा हो गया है। हर तरफ शौचालय निर्माण की होड़ सी लगी हुई है जो एक शुभ संकेत है तथा जीविका दीदियों के बढ़ते आत्मबल को प्रदर्शित करता है। जीविका की दीदियाँ गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करने में तल्लीन हैं। मुझे विश्वास है कि जीविका दीदियों एवं जीविकाकर्मियों के प्रयास से 02 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा।

मैंने देखा है कि आज हर छोटी–बड़ी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जीविका दीदियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। यह उनकी जागरूकता का प्रतीक है। बीमारियों से सुरक्षा का मुद्दा हो, स्तनपान को बढ़ावा देने का मसला हो, साफ–सफाई या आपदाओं से सामना, हर मामले में दीदियों की सक्रियता अनुकरणीय है। आज जीविका दीदियों का आत्मसम्मान बढ़ा है। उनकी कार्यपद्धति एवं सोच में बदलाव आया है, उनको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है और यह संभव हो पाया है संयुक्त प्रयास से। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए ताकि बिहार की जरूरतमंद महिलाओं तक हमारी पहुँच हो सके और जीविका के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें।

CONTENTS

लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान : संकल्प से सफलता तक 01

Voices from the Field 03

सामाजिक विकास 05

सोलर लैम्प से पढ़कर सँवरता बच्चों का भविष्य 07

बाढ़ में जीविका ने निभाई अपनी सार्थक भूमिका 09

संदेश

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (भा.प्र.से.)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

खुले में शौच मानव गरिमा का एक अपमान है, मानवता के लिए अभिशाप है। खासकर किसी महिला को शौच के लिए घर से बाहर खुले स्थान पर जाना हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण है। हमारा प्रयास 02 अक्टूबर 2019 तक राज्य के हर घर में शौचालय बनाने का है, खुले में शौच से मुक्त बिहार बनाने का है। बिहार के माथे पर खुले में शौच का जो अभिशाप है, उसे खत्म करने के लिए शौचालय निर्माण को एक जनांदोलन का रूप दिया जा रहा है। खुले में शौच 80 प्रतिशत से अधिक बीमारियों का जरिया है। खुले में शौच से मुक्ति युक्त समाज बनाना आने वाली पीढ़ी के प्रति एक महान देन होगी। हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ बिहार और स्वस्थ बिहार देकर जाएंगे। शौचालय निर्माण में जीविका का प्रयास भी रेखांकित करने योग्य है। बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में भी जीविका दीदियों की अहम भागीदारी है। मौन क्रांति की ध्वजवाहिकाएँ जीविका दीदियाँ हमेशा से समाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाईयाँ लड़ रही हैं और इसी का परिणाम है कि आज बिहार कई तरह की समाजिक कुरीतियों से मुक्त हो चुका है और मुझे विश्वास है कि जीविकाकर्मियों एवं जीविका की दीदियों के प्रयास से खुले में शौच से मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य ससमय पूरा कर लिया जाएगा।

बिहार की बड़ी आबादी अगस्त एवं सितम्बर माह में बाढ़ की विभीषिका को झेलने को विवश थी। बाढ़ में जीविका दीदियों का कार्य भी काफी प्रशंसनीय रहा। बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाये गये राहत कार्य–खासकर सामुदायिक रसोई घर एवं राहत सामाग्री पैकिंग में जीविका की भूमिका सराहनीय रही। इस तरह की सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए जीविका दीदियों को बहुत बधाई। जीविका दीदियों ने यह साबित कर दिया कि बिहार की महिलाएं अब सशक्त होकर हर प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला कर सकती हैं।

पत्रिका के नवीनतम अंक की भी बधाई। पत्रिका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे इसकी भी शुभकामनाएँ।

CONTENTS

जीविका में सूचना प्रणाली के प्रबंधन की सशक्त व्यवस्था 11

खुले में शौच से मुक्ति की प्रेरणा देता नीरपुर पंचायत 13

बड़की दीदी 15

सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा शौचालय 17

मन की कलम से 18

Process Monitoring 19

01 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

05 सामाजिक विकास

07 सोलर लैम्प से सँवरता बच्चों का भविष्य

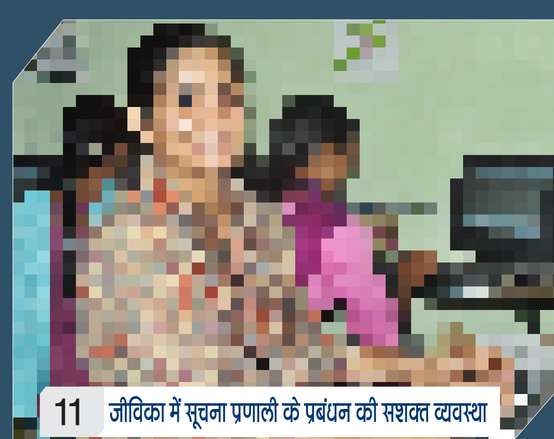

11 जीविका में सूचना प्रणाली के प्रबंधन की सशक्त व्यवस्था

स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

संकल्प से सफलता तक

2 **अक्टूबर** 2019 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभिनव रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की रणनीति के कारण शौचालय का निर्माण संपूर्ण बिहार में एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के संकल्प को जीविका के सहयोग से सफलता तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी संकल्प का परिणाम है कि राज्य भर में अब तक कुल 1005103 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण समुदाय को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय एवं इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण तथा समुदाय आधारित ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन जैसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। वहीं, लोहिया स्वच्छता योजना राज्य द्वारा सहायता प्रदत योजना है, जिसके तहत क्षेत्र विशेष को शौचालय निर्माण के संदर्भ में संपूर्ण आच्छादन हेतु चिन्हित श्रेणी वैसे अन्य के एपीएल परिवारों, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं–के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एल.एस.बी.ए.)

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना को सम्मिलित किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है जिसके तहत खुले में शौच मुक्त बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समयबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का आच्छादन किया जाना है। इसके तहत स्वच्छता अभियान की गतिविधियों से सम्बद्ध विभिन्न भागीदारों यथा पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों, संकुल स्तरीय संघों, ग्राम संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, निःशक्त स्वयं सहायता समूह विभिन्न सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलत किया गया है। साथ ही सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता की रणनीति को भी अपनाना है ताकि पूरे समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य भी करना है। एलएसबीए के क्रियान्वयन हेतु चार स्तरीय संरचना कार्य कर रही है। राज्य स्तरीय संरचना के शीर्ष पर प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग हैं। वहीं, जिला स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्यरत है, जिसके पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी एवं उपाध्यक्ष उपविकास आयुक्त हैं। प्रखंड स्तरीय संरचना में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंडस्तरीय अनुश्रवण इकाई कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत स्तरीय संरचना में स्थानीय मुखिया अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक समितियां कार्य कर रही है।

समितियों के दायित्व एवं कार्य

जिला जल स्वच्छता समिति के दायित्व एवं कार्यों में संबंधित जिले को उनके निर्धारित तिथि तक खुले में शौच से मुक्त करने हेतु जिला की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को सौंपा गया है। समिति अपनी कार्ययोजना के अनुरूप जिला संसाधन सेवी, समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता उत्प्रेरक, स्वच्छता सामुदायिक संसाधन सेवी, राजमिस्त्री आदि की पहचान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इनका रिसोर्स पुल तैयार करना है। प्रखंडों से प्राप्त अद्यतन बेसलाईन सर्वे एवं ओडीएफ की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान करना तथा एमआईएस में

डाटा अद्यतन किया जाना है, साथ ही समिति द्वारा जिले को चरणबद्ध तरीके से खुले में शौच से मुक्त की दिशा में क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण, जागरूकता अभियान, कार्यशाला आदि की कार्ययोजना तैयार कर क्षमतावर्द्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक उपकरण का क्रय भी किया जाएगा। शौचालय निर्माण के उपयोग में आने वाली सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए समुदाय आधारित सेनिटरी मार्ट या सक्षम या उपलब्ध आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान कर गुणवत्ता सहित उचित दर पर सामग्री की उपलब्धता डीडब्ल्यूएससी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।

प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा प्रखंड स्तरीय समिति का गठन एवं नियमित बैठक कर प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। इसके लिए आवश्यकतानुसार रिसोर्स पुल तैयार कर आवश्यक सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही आवश्यक संसाधन सेवियों, सीएलटीएस फेसिलेटर, राजमिस्त्री आदि को चिन्हित कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रखंड इकाई द्वारा पंचायतवार एवं वार्डवार किए जा रहे खुले में शौच से मुक्त योजना की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से प्रतिमाह किया जा रहा है तथा प्रगति प्रतिवेदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्राम पंचायत स्तरीय सहयोग समिति के दायित्व एवं कार्यों में ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित करने हेतु डीडब्ल्यूएससी से अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वयन इकाई को सहयोग प्रदान करना है। ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृत्व में वार्डवार विस्तृत कार्य योजना तैयार कर वार्ड स्तरीय सहयोग समिति को सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही सामुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता हेतु आवश्यक संसाधन सेवी को चिन्हित कर क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन बेसलाइन सर्वेक्षण को ग्राम सभा में अनुमोदन कराना है। ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने हेतु व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण के अतिरिक्त सभी ग्रामीण संस्थान जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, पंचायत कार्यालय आदि में भी शौचालय निर्माण कराना है। ग्राम पंचायत द्वारा समुदाय आधारित सेनिटरी मार्ट या उपलब्ध बाजार से सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करना तथा शौचालय निर्माण का भौतिक सत्यापन अनुश्रवण एवं निगरानी किया जाना है।

वार्ड स्तरीय सहयोग समिति के दायित्व एवं कार्य में वार्ड स्तर पर सामुदायिक उत्प्रेरण सामुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता के द्वारा किया जाना एवं इसके उपरांत बेसलाइन सर्वे में छूटे हुए परिवारों को जोड़कर अद्यतन सूची तैयार करना है। वार्ड स्तर पर समिति द्वारा उत्प्रेरण उवं उन्मुखीकरण हेतु कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया जाना तथा वार्ड स्तर पर शौचालय का ससमय निर्माण एवं उपयोग की निगरानी की जिम्मेवारी भी है। वार्ड स्तर पर समिति द्वारा शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित सामग्री की समुदाय आधारित खरीदारी को प्रोत्साहित करना है। वार्ड स्तरीय सदस्यों द्वारा वार्ड में निर्मित सभी शौचालयों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना है।

खुले में शौच से मुक्त पंचायत हेतु क्रियान्वयन के चरण

खुले में शौच से मुक्त पंचायत हेतु क्रियान्वयन के चरण में डीडब्ल्यूएससी जिले को ओडीएफ करने हेतु क्रियान्वयन इकाई के रूप में प्रखंड, संकुल संघ, ग्राम संगठन आदि का चयन करेगा। तदुपरांत कार्य योजना के अनुरूप वार्ड सभा, ग्राम सभा आयोजित कर खुले में शौच से मुक्त गांव, पंचायत बनाने के लिए सभी ग्रामीणों के बीच चर्चा एवं उत्प्रेरण तथा उन्मुखीकरण की कार्य–योजना तैयार की जाएगी जिसमें प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, सामग्री आपूर्ति एवं शौचालय निर्माण सुनिश्चित कराना है। 90 दिनों में ग्राम पंचायत को वार्डवार, ग्रामवार एवं पंचायतवार खुले में शौच मुक्त पंचायत की घोषणा एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाना है। इसके साथ ही शौचालय निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को भारत सरकार के आईएमआईएस पर अद्यतन किया जाना है।

खुले में शौच से मुक्त वार्ड, ग्राम बनाने हेतु निर्धन परिवारों की जीविका के संकुल संघ, ग्राम संगठनों द्वारा पहचान कर उन्हें विशेष रूप से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नियमित रूप से उत्प्रेरित किया जाएगा। वैसे निर्धन परिवार जिनकी मासिक आय काफी कम है उन्हें शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की परिक्रमी निधि को ग्राम संगठन के माध्यम से गरीब परिवार को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। शौचालय निर्माण के उपरांत जब प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी तब लाभार्थी परिक्रमी राशि को ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन को लौटा देंगे। जीविका समूहों से जुड़े निर्धन परिवारों को शान फंड या आरंभिक पूँजी निधि फंड के माध्यम से एवं अन्य निर्धन परिवारों को बैंक लिंकेज के माध्यम से भी राशि उपलब्ध करायी जा सकती है। इन गतिविधियों के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि शौचालय निर्माण रणनीति में दिव्यांग अनुकूल शौचालय को भी प्राथमिकता दी जाए। सामुदायिक स्वच्छता अकादमी की स्थापना खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से स्थानीय सामुदायिक संस्थानों के सहयोग एवं समन्वय से सामुदायिक उत्प्रेरण हेतु की गयी है।

शौचालय निर्माण हेतु उपयुक्त शौचालय प्रौद्योगिकी

शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को शौचालय के विभिन्न विकल्पों की जानकारी दी जाना चाहिए ताकि शौचालय टिकाउ तथा उपयोगी हो। सामान्यतः दो गड्ढ़े वाले लीच पीट शौचालय का निर्माण किया जाना है परन्तु भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उचित शौचालय तकनीक को अपनाया जाना आवश्यक है। बाढ़ग्रस्त तथा उच्च भूमिगत जलस्तर वाले क्षेत्रों में इकोसैन शौचालय, जैविक शौचालय, कम्पोस्टेरा शौचालय जैसे शौचालय तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भूमिहीन परिवारों तथा जमीन की अनुपलब्धता वाले टोलों, गांवों के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा सकता है। वैसे परिवार जिनमें दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्ति हों द्वारा उनके लिए सुविधायुक्त शौचालय का भी निर्माण किया जा सकता है। लाभार्थियों द्वारा सैप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण किया जाता है तो उसमें सोक पीट का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

राजीव रंजन
प्रबंधक संचार, समस्तीपुर

Voices
from the Field

This study also focused on understanding the steps and methodology which community had been using. GPs like Bari Rai Bhan, Jigna Jagarnath, Bideshi tola and Barari Jagdish in Gopalganj district are a good example to learn and understand the factors which support to achieve the ODF status.

Sandeep Kumar Sinha
Management Intern, IIFM-Bhopal

As per the census 2011, sanitation coverage in rural India has reached 32.70% taking into consideration the increased population. Census 2011 has reported an increase of 2.96 crore households in rural areas as compared to census 2001. As per NSSO Report of 2008-09, 34.80% rural households used toilets. As per Online Reporting Data from Ministry of Drinking Water & Sanitation, 68.41% of the total project objectives have been achieved. A large fraction of people in India who defecate in the open are from rural India. Despite a good economic growth, construction of government toilets, increasing recognition of policy makers constituting a healthy future, open defecation remains widespread in rural India.

The Swachh Bharat Mission's baseline survey report of 2012 named Bihar as the state that has the worst sanitation and cleanliness figures. An innovative approach must be required to eliminate open defecation under the umbrella of Swachh Bharat Mission framework and to work efficiently in the states like Bihar which is a compelling case for behavior change. To achieve the objective of Swachh Bharat Mission, 'Sanitation for all' has been the core agenda of the Government of Bihar (GOB); and under this domain, GOB started Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA) to cater the families not covered under any program. Bihar is the first state where sustainable sanitation practices have been adopted, and the same is extended to all the rural families (SBM-G). The government is making relentless efforts to facilitate collective behavioral change among the village community with respect to adoption of safe sanitation and hygiene practices along with addressing the challenges of toilet technologies, supply chain management, and credit access. Panchayati Raj Institutions and women led community-based organizations nurtured by JEEViKA play a very important role in anchoring the WASH

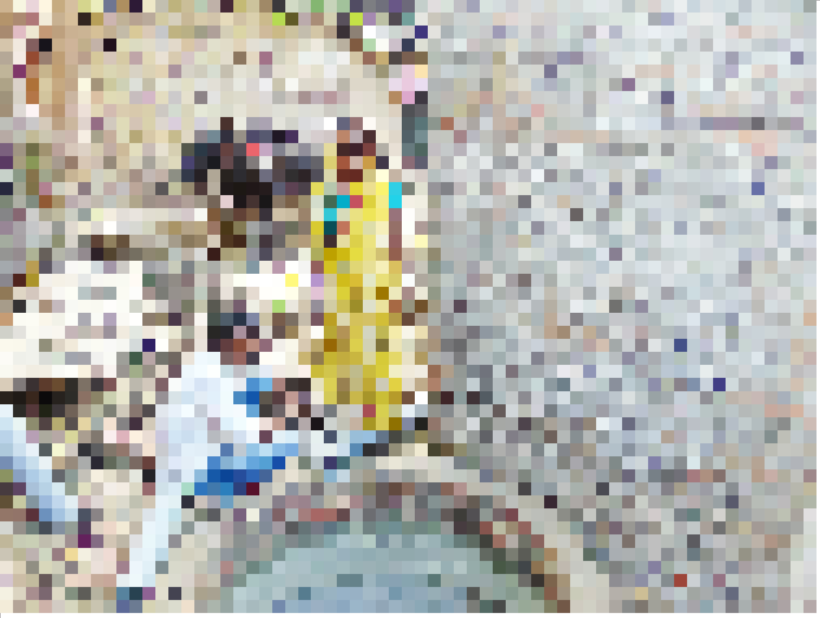

intervention and work towards sustaining the sanitation practices.

Community Led Total Sanitation (CLTS) methodologies are being adopted by LSBA for scaling up development of sanitation practices. The approach focuses mainly on achieving sustained behavior change through motivation and mobilization of communities to understand the risks associated with open defecation.

This study deals with the prime reason of Open Defecation Free (ODF) verification in Bihar; the data thus collected deals with further scopes of improvement in the genres of open defecation prone Gram Panchayats (GPs) as well as the already ODF villages. This verification has the main objective of knowing the actual status of ODF villages in Bihar, the feedback of which will be the subject to further actual improvement. The consequences perceived were mainly related to lack of proper knowledge among the village dwellers, the political arena which puts negative impact on the local people and the incentive disbursal, which has on one side created a helping hand for the local people and on the other side made them dependent on the government subsidies, thus creating an obstacle to the behavioral change among the people. The individual respondent's profiles play a major role for us to bend our mind to the ground level and understand the plight of the villagers. Apart from the respondents' profile, the report considers behavioral aspect, impact of incentive disbursal and the basic hygienic practices for the proper sanitary environment in rural India.

Other major components like WASH institution building, credit access, supply chain management and skilling of masons have also been addressed. This paper on behavior change constitutes methodology that establishes a new lens to understand the LSBA's portfolio in ODF evaluation. The paper outlines the economic and psychological aspects of five districts in Bihar viz. East Champaran, Sitamarhi, Buxar, Gopalganj & Bhagalpur. People in households who own a government latrine defecate in the open. Old people prefer to go outside as they are going outside from their birth and they do not mind going for open defecation for the rest of their lives. Among people who defecate in the open, a majority report that widespread open defecation would be at least as good for child health as latrine use by everyone in the village.

Key factors which played an important role in sustaining and achieving ODF status are involvement of PRIs, local administration and the other stakeholders. This study also focused on understanding the steps and methodology which community had been using. GPs like Bari Rai Bhan, Jigna Jagarnath, Bideshi tola and Barari Jagdish in Gopalganj district are a good example to learn and understand the factors which support to achieve the ODF status. It was observed that Mukhiya played very important role in influencing and motivating the community to make them understand about cleanliness. Nevertheless, with the support of ward members, CLTS motivators, *Nigraani Samiti* were equally helpful for achieving ODF status. The following section states the recommendations based on the entire study (including both the literature review, primary research and data analysis).

1. **Collaborative Awareness Campaign** : A collaborative awareness campaign is required, especially in poor performing districts of Bihar. This study observed that rural households often prioritize assets such as televisions, radios, cell phone, etc. over the availability of toilets. It has been argued and reported in various studies that the construction of toilets are simply to achieve the targets without focusing on the concurrent situation for awareness and triggering the community. In this study, it was also found that lack of awareness stands out as the prime reason in the case of HH where the toilet is already available. IEC intervention would be the best way to mobilize the community about the sanitation and the most important requirement to achieve the target in its real words.
2. **Appropriate strategy to mix incentive and awareness** : It is very important to lead this movement, which primarily was demand-led, the spread of awareness is the most vital component. However, the subsidy is a major roadblock on the way of sanitation coverage. People think the government should provide a toilet with big squatting area and good superstructures. People are not ready to invest for toilets by themselves. People are dissatisfied with the system as their incentives are delayed because payment is done only when all the HHs in a ward have a toilets.
3. **Effort for Community toilets** : The idea of using community toilets as an effective alternative for the poorest section needs to be seriously persuaded. Since very few Gram Panchayats have these facilities, the need to give some emphasis to it. There is a need of the hour is to converge such schemes in a single platform and conduct massive public mobilization programs.
4. **The indispensable role of JEEViKA** : Being one of the major stakeholders and the implementation, monitoring, and evaluation agency for the GoB, JEEViKA should aim for "ODF SHGs" and should add a provision for ODF SHG entry in MIS/LSBA website/JEEViKA website.

Excerpt taken from a internship study on "Issues and strategies for social and behaviour change communication through LSBA in Bihar".

सामाजिक विकास

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है, भले ही वह अत्यंत गरीब हो।

जीविका समुदाय के समाजिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सफल व्यक्तित्व और समाज के निर्माण के लिए सामजिक विकास के तहत व्यक्तियों का क्षमतावर्धन किया जाता है। यह समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है, भले ही वह अत्यंत गरीब हो। अपने कौशल को विकसित करने और सार्थक तरीके से अपने परिवार और समुदायों के लिए बेहतर योगदान करने का अधिकार सबको है। सभ्य समाज की रचना के लिय उन्हें बेहतर तरीके से शिक्षित होना चाहिए।

"समुदाय आधारित संस्थानों विशेष रूप से ग्राम संगठन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन, सरकार प्रायोजित बीमा कार्यक्रम की तरह समाजिक अधिकारों के उपयोग के बारे में सक्षम करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।"

सामाजिक समावेशन और सार्वभौम सामाजिक उत्प्रेरण :

सामाजिक समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई गरीब परिवार समूह में जुड़ने से वंचित न रहे। अत्यंत गरीब परिवारों को जीविका के माध्यम से सामाजिक समावेशन के लिए कार्यात्मक रूप से प्रभावी और स्वप्रबंधित तरीके से लाभान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , एकल महिला और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, विकलांग, भूमिहीन, प्रवासी मजदूरों, पृथक समुदायों और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ ही सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान लिए कार्य किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य किये जा रहे हैं।

गरीबों के लिय वरदान है स्वास्थ्य सुरक्षा :

बीमारी और दुर्घटनाओं के समय गरीबों को सर्वाधिक आर्थिक परेशानी होती है। पैसों अर्थाभाव में गरीबों को साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। महंगे ब्याज की मार से गरीब परिवार कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। कई बार उन्हें अपनी जमीन के साथ गहने भी गिरवी रखने पड़ते थे। ऐसे में गरीबों को कर्ज की मार से निजात दिलाने में जीविका का "स्वास्थ्य निधि" कारगर साबित हो रही है।

स्वास्थ्य गतिविधियाँ :

स्वास्थ्य की समस्याओं का गरीबी से सीधा सरोकार है। स्वस्थ जीवन गरीबी निवारण का पहला सोपान है। बेहतर स्वास्थ्य के परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य की भूमिका जीविका परियोजना की गरीबी कम करने की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। जीविका सहेली व सामुदायिक संसाधन सेवियों के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों को समूह की महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुँचाने का कार्य जारी है।

स्वास्थ्य सुरक्षा निधि :

स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के कारण ही सदस्यों पर ऋण का दबाव बढ़ता जाता है। इसके निवारण के लिये समूहों में 5/— या 10/—रुपये प्रति माह स्वास्थ्य निधि के लिए भी बचत की जा रही है। स्वास्थ्य निधि के तहत परियोजना द्वारा 50000/— की राशि ग्राम संगठन को प्रदान की जाती है और उस ग्राम संगठन से जुड़े परिवार इस निधि की राशि का उपयोग कर सकते हैं।

स्वास्थ्य निधि की राशि को ग्राम संगठन स्तर पर संग्रहीत कर सदस्यों को बीमारी में इलाज के लिये दी जाती है। इसके दो घटक हैं —पहला स्वास्थ्य बचत, जिसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को हर महीने एक निर्धारित राशि की बचत करनी होती है, दूसरा स्वास्थ्य ऋण —जिसमें सदस्यों को आवश्यकतानुसार राशि प्रदान की जाती है। इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया को सरल, आसान और तत्काल सहायता के लिए सुगम बनाया गया है। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य के मुख्य चार घटकों को सफल बनाना है– 1. मातृ स्वास्थ्य, शिशु और बच्चे की देखभाल, 2. सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली, 3. पर्यावरणीय स्वास्थ्य और 4. संक्रामक रोगों से निवारण के लिये जागरूक करना।

जीविका सहेली :

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके बीच से ही एक महिला का चयन किया जाता है जिसे 'जीविका सहेली' कहते है। जीविका सहेली को स्वास्थ्य से संबंधित प्राथमिक जानकारियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जीविका सहेली वास्तव में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले प्राथमिक स्वास्थ केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अब ये सभी सुविधाएँ 'जीविका सहेली' उनके घर पर उपलब्ध कराती है।

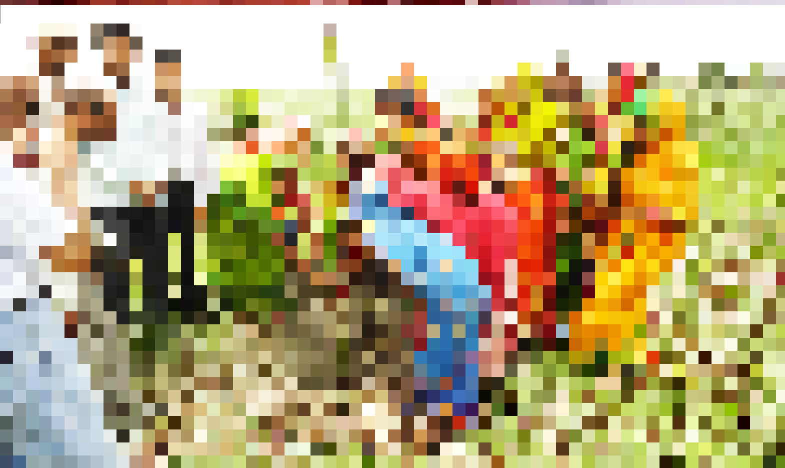

खाद्य सुरक्षा निधि :

कृषि की अनिश्चितता और गरीबी के कारण समूह से जुड़े सदस्यों और उनके परिवार के लोगों को साल में कुछ महीनों में खाने की समस्या होती है। ऐसे में जीविका द्वारा इस समस्या के निवारण के लिय खाद्य सुरक्षा निधि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत एक लाख की राशि ग्राम संगठन को निर्गत की जाती है। सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के तहत सभी सदस्यों की मांग और अग्रिम राशि की सूची तैयार की जाती है। ग्राम संगठन स्तर पर समूह सदस्यों की मांग के अनुसार खाद्यान्न की खरीदारी की जाती है जो समूह सदस्यों के बीच वितरित की जाती है। तीन महीने में किस्त के अनुसार यह राशि लौटाई जाती है, जिसके बाद दूसरे चक्र की खरीदारी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

सामाजिक अधिकार :

समुदाय आधारित संस्थानों–विशेष रूप से ग्राम संगठन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन, सरकार प्रायोजित बीमा कार्यक्रम की तरह समाजिक अधिकारों के उपयोग के बारे में सक्षम करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सरकार के विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं का लाभ समूह तक पहुँचाया जा रहा है।

हस्ताक्षर साक्षरता कार्यक्रम :

परियोजना ने स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को साक्षर बनाने के लिए भी कार्य करती है। इसके तहत सभी महिलाओं को हस्ताक्षर करना सिखाया जा रहा है। ग्राम संगठन की जिम्मेदारी है कि समूह से जुड़ी कम से कम 80% महिलाएँ हस्ताक्षर साक्षर हों।

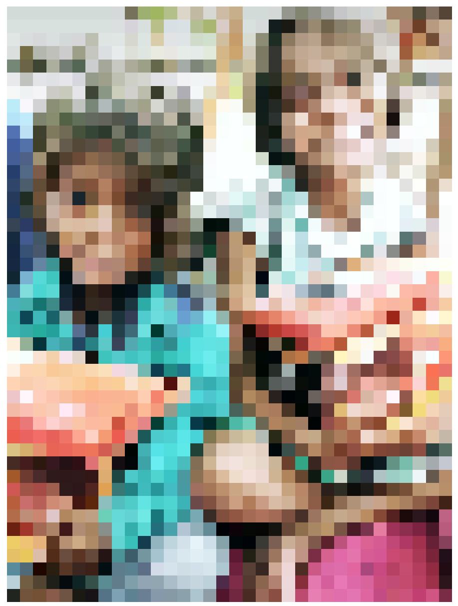

सोलर लैम्प से पढ़कर सँवरता बच्चों का भविष्य

बिजली की समस्या के वजह से या तो बच्चे पढ़ नहीं पाते या फिर लालटेन से पढ़ाई करते हैं। यानि की सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो दिलाया है पर बच्चों को रौशनी के अधिकार की भी आवश्यकता है। इसीलिए आईआईटी मुंबई ने सौर ऊर्जा लैम्प की परियोजना विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की है।

आज हमारे देश मे लगभग 30 प्रतिशत युवा हैं जो 0–15 वर्ष की आयु के हैं। उनका पढ़ना –लिखना बहुत जरूरी है जिससे की वे देश की प्रगति के साथ–साथ स्वयं की भी प्रगति कर सके। हमारे देश मे अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करते हैं,जहां बिजली की बहुत समस्या है खासकर शाम के वक्त। सामान्यतः शाम के समय ही बच्चे स्कूल से लौटकर पढ़ते हैं। पर बिजली की समस्या के वजह से या तो बच्चे पढ़ नहीं पाते या फिर लालटेन से पढ़ाई करते हैं। यानि की सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो दिलाया है पर बच्चों को रौशनी के अधिकार की भी आवश्यकता है। इसीलिए आईआईटी मुंबई ने सौर ऊर्जा लैम्प की परियोजना विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) ने ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई के लिए केरोसिन तेल के इस्तेमाल को रोकने व स्वच्छ रोशनी उपलब्ध कराने को "क्लीन लाइट फॉर चिल्ड्रेन टु स्टडि" योजना लागू की है। सरकार की सात मिलियन सोलर ऊर्जा लैम्प प्रोजेक्ट वर्ष 2017–18 के लिए पाँच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ,ओड़ीशा व असम में चल रहा है। इस योजना के तहत 2011 के जनगणना के आधार पर वैसे गाँव का चयन किया गया है जहा 50 फीसदी से ज्यादा आबादी केरोसिन तेल का इस्तेमाल करती है। केंद्र इसे लोकलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जि के रूप मे लागू कर रही है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा

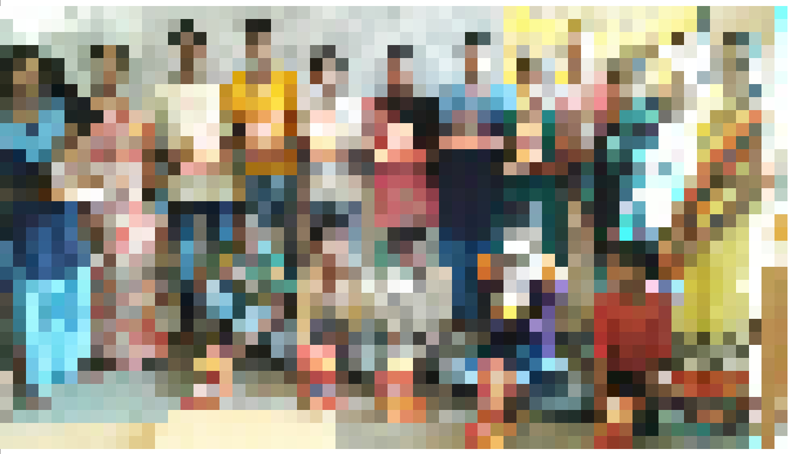

सौर लैम्प क्यों : आज भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों मे बिजली नहीं होने पर वहाँ के लोग प्रकाश के लिए केरोसिन वाली लालटेन का उपयोग करते हैं। जिससे उनके शरीर के अंगों जैसे आँखों, फेफड़ों आदि पर विशेष प्रभाव पड़ता है साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुचता है। लेकिन सौर ऊर्जा लैम्प से मानव शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इससे मिलने वाला प्रकाश भी लालटेन के उजाले से दस गुना ज्यादा होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण बच्चों तक साफ एवं स्वच्छ रौशनी पहुंचाना एवं सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

मंत्रालय (भारत सरकार) इसके लिए एनर्जी एफीश्यंसी सर्विस लिमिटेड व आईआईटी मुंबई की मदद ले रही है। आईआईटी मुंबई ने इस कार्यक्रम को बिहार मे BRLPS (जीविका) के माध्यम से निष्पादित करने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा बिहार के 18 जिलों के 63 प्रखंडों मे कुल 17 लाख सोलर लैम्प वितरित किए जाने हैं।

बिहार मे इस परियोजना की शुरुआत गया जिले से हो चुकी है। यहाँ पर कुल 16 A&D (Assembling & Distribution) केंद्र स्थापित किए जाने है। जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्य जारी है। साथ ही साथ दो बैच के 135 सदस्यों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत दो A&D केंद्र बोध गया एवं शेरघाटी प्रखंडों मे शुरू किया जा चुका है जिसके माध्यम से 179 सोलर लैम्प का वितरण स्कूल के छात्रों को किया गया है। सोलर लैम्प अनुदानित मूल्य 100 रु0 पर कोड प्राप्त सरकारी स्कूल के छात्रों को प्राचार्य के हस्ताक्षर व मुहर प्राप्ति के बाद दी जा रही है।

प्रक्रिया : जीविका पहले 30 दीदी के ग्रुप को आवासीय प्रशिक्षण देती है। 20 दीदी को सोलर लैम्प assemble करने के लिए लगाया जाता है और

सौर लैम्प की विशेषताएँ :

- सौर लैम्प को चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है।
- पूरा चार्ज होने पर आप 7 से 8 घंटे तक रौशनी प्राप्त कर सकते हैं।
- पढ़ाई करने हेतु लचीली गर्दन के साथ इस लैम्प को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
- लैम्प के मूल्य पर केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सबसिडी दी गयी है जिसके कारण 700 से 800 रु0 वाला लैम्प आपको केवल 100 रु0 मे उपलन्ब्ध है।
- यह लैम्प केवल स्कूल के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- आवश्यकतानुसार प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक कर सकते हैं।

सौर लैम्प के लाभ :

- केरोसिन लालटेन से छुटकारा एवं और अपेक्षाकृत तेज व स्वच्छ रौशनी ।
- बिजली के बिल मे कटौती
- पर्यावरण हितैषी
- उपयोग मे आसान व चलायमान
- आँखों के लिए अनुकूल प्रकाश
- पढ़ाई के घंटों मे वृद्धि
- एक वर्ष के लिए निःशुल्क तकनीकी मरम्मत की सुविधा।

उन्हे प्रति लैम्प 12 रु0 दिया जाता है। अमूमन एक दीदी 35–40 लैम्प प्रतिदिन assemble कर लेती हैं। 10 दीदी को लैम्प बेचने हेतु लगाया जाता है और उन्हे प्रति लैम्प बेचने पर 17 रु0 दिया जाता है। दीदी को एक साल तक उन लैम्प का निःशुल्क रखरखाव भी करना है। एक दीदी को 3000 लैम्प के रखरखाव की जिम्मेदारी सौपी जाती है। इस योजना से बच्चों को साफ व स्वच्छ रौशनी मिल रही है साथ ही साथ दीदी को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

मनीष कुमार
प्रबंधक संचार, गया

बाढ़ में जीविका ने निभाई अपनी सार्थक भूमिका

अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहण करते हुए जीविका दीदियों ने बाढ़ की विपदा में अपने शानदार कार्यों द्वारा अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई हैं। जीविका दीदियों द्वारा हमेशा से चाहे सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठाने की बात हो या विपदा की स्थिति में मदद पहुंचाने की हमेशा से अपनी सजगता का परिचय दिया है।

> **जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीविका दीदियों ने अपने अभिनव कार्यों का प्रदर्शन किया। जीविका दीदियों के इस जज्बे ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द को कम करने में सफलता हासिल की। जीविका दीदियों ने ना रात देखा और ना ही दिन उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर स्तर से प्रयास किया।**

अगस्त और सितम्बर माह बिहार में बाढ़ के नाम रहा। बिहार के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित रहे और करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने बाढ़ के दंश को झेला। जिन जिलों में बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया, वे हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण, सिवाान, सुपौल, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा। इन जिलों में बाढ़ से करीब 600 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की भयावहता ने लाखों लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया, हजारों लोग बेघर हो गये, लाखों लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगा। आंखों में आंसू, चेहरे पर गम और समस्याओं के बोझ से दबे लोगों के लिए जीवन जीना एक संघर्ष से कम नहीं रह गया। न रहने का ठिकाना, न खाने के लिए भोजन, न पीने के लिए शुद्ध पानी। इन विपरीत स्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी। गर्भवती एवं धातृ महिलाओं के लिए यह बाढ़ किसी बुरे सपने से कम नहीं था।

इस दुःख की बेला में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को सामना करने, उनके घाव पर मरहम लगाने और चेहरे पर खुशी लाने के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन के साथ जीविका की दीदियाँ सामने आईं। कई जिलों में जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीविका दीदियों ने अपने अभिनव कार्यों का प्रदर्शन किया। जीविका दीदियों के इस जज्बे ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द को कम करने में सफलता हासिल की। जीविका दीदीयों ने रात दिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। कहीं सामुदायिक रसोई घर द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी तो कहीं अशुद्ध पानी को किस प्रकार पीने योग्य बनाया जा सकता है इसके

बारे में जानकारी दी जा रही थी।

आपदा के समय जीविका की दीदियों ने स्थानीय स्तर पर जहां कई तरह के प्रयास किये वहीं उन्होंने आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की स्थिति से निपटने की जानकारी भी अलग–अलग माध्यमों से बाढ़ पीड़ितों को दी।

पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा आदि जिलों में जीविका की दीदियों द्वारा 1000 से ज्यादा सामुदायिक रसोई घर (कम्यूनिटी किचेन) का संचालन किया जा रहा था। इन रसोई घरों में हजारों जीविका दीदियों ने मदद का कार्य किया और लाखों बाढ़ पीड़ितों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया। बाढ़ की स्थिति के दौरान जिलों में प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य प्रारंभ किया गया। बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए सामुदायिक संगठनों से जुड़ी दीदियों ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया और जिला प्रशासन को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया और जिला प्रशासन द्वारा संचालित 100 से ज्यादा केन्द्रों पर सूखा राशन पैकिंग का कार्य एक पखवाड़ा से ज्यादा समय तक किया।

बाढ़ प्रभावित परिवारों की राहत के लिए विभिन्न जिलों में जीविका के संकुल स्तरीय संघों एवं ग्राम संगठनों द्वारा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया गया। जिनके माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया गया। इस कार्य में जीविका समूह की 5000 से अधिक दीदियों ने खाना बनाने एवं वितरण में सहयोग प्रदान किया। जिससे बाढ़ पीड़ितों को राहत मिली। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जीविका द्वारा संचालित सामुदायिक किचन का भी भ्रमण किया गया। अनेक ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संघों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतू भोजन, वस्त्र एवं जरूरत की सामाग्रियों का वितरण की।

अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहण करते हुए दीदियों ने बाढ़ की विपदा में अपने कार्यों द्वारा अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनके द्वारा हमेशा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठाने एवं विपदा की स्थिति में मदद पहुंचाने में सजगता का परिचय दिया गया है।

•

✍ **पवन कुमार प्रियदर्शी**
परियोजना प्रबंधक, संचार

जीविका में सूचना प्रणाली के प्रबंधन की सशक्त व्यवस्था

सामुदायिक आधारित संस्थाओं की अपनी अलग पहचान हो, इसके लिए, सूचना पटल, विभिन्न प्रकार के जानकारियों वाले बोर्ड सामुदायिक आधारित संस्थाओं में प्रदर्शित किये जाते हैं। सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, जिला स्तर से राज्य स्तर तक में त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवन

जीविका में क्रियान्वयन इकाई के प्रत्येक स्तर पर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट बनाया जाता है । तदनुपरांत इस वार्षिक कार्य योजना को मासिक एवं तिमाही अवधि तक विश्लेषित किया जाता है । वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतेक माह में सभी जिलों, प्रखंडो एवं राज्य स्तर पर लक्ष्य आधारित उपलब्धि पर समीक्षात्मक बैठक की जाती है एवं इसकी विधिवत रिपोर्टिंग एवं विभिन्न चरणों में उसकी समीक्षा की जाती है ।

सतत मूल्यांकन प्रक्रिया में लक्ष्य के सन्मुख उपलब्धियों की समीक्षा के साथ साथ प्रक्रिया (Process) एवं गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाता है । इसके तहत प्रक्रिया मूल्यांकन (Process Monitoring) हेतु सहयोगी संस्थाओं को शामिल कर स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल संघों में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत कार्य किये जाने या नहीं किये जाने का ध्यान रखा जाता है। इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को भी शामिल किया जाता है । इस दिशा में कुल 450 समूह सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो विभिन्न जिलों में जाकर समूहों, संगठनों एवं संकुल संघो का प्रोसेस मोनिटरिंग करते रहें हैं। परियोजना के व्यवहार एवं दीर्घकालीन प्रभाव के आकलन हेतु तृतीय पक्ष संस्थाओं एवं शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से परियोजना एवं विभिन्न कार्यक्रमों का अनुश्रवण भी किया जाता है ।

एम०आइ०एस० (प्रबंधन सूचना प्रणाली)

जीविका की प्रबंधन सूचना प्रणाली सशक्त रूप से कार्य करने एवं समुदायिक विकास करने हेतु नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए समेकित तकनीक प्लेटफार्म विकसित कर रहा है ताकि इस प्रणाली का उपयोग कर कर्मियों एवं सामुदायिक संस्थानों के सदस्य ससमय सही निर्णय ले पाएँ।

इसके अंतर्गत वेब–पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। जीविका को राज्य NIC कार्यालय से भी सहयोग मिल रहा है।

सबसे पहले सामुदायिक संस्थाओं के सभी आँकड़ों को डिजिटाइज किया जाता है। सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों की जानकारी, बैठकों की जानकारी, लेन–देन सहित अन्य सूचनाओं पर हम कहीं से भी नजर रख सकते हैं। सामुदायिक संस्थानों एवं उनके सदस्यों का इस प्रणाली द्वारा सम्पूर्ण विवरण दिया जाता है। सूचना का संग्रह जिला एवं प्रखंड स्तर पर होता है।

जीविका के विभिन्न कार्यक्रमों के अभिग्रहण हेतु विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन बनाये गये हैं। इनमें महत्वपूर्ण है नीरा एप्लीकेशन जो सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। नीरा के मौसम में इस एप्लीकेशन के द्वारा रोजाना अधित सदस्यों द्वारा किया गया नीरा संग्रह एवं विपणन की जानकारी वेब–पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी । इसी दिशा में अन्य उपयोगी एप्लीकेशन हेतु NIC के सहयोग से कार्य किया जा रहा है ।

प्रबंधन सूचना प्रणाली मानव संसाधन को अधिक विकसित करने हेतु प्रद्यौगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए सर्वप्रथम कर्मियों से संबंधित सारी सूचनाएँ डिजीटाईज की जाती है। परियोजना कर्मी अवकाश आदि के लिए, आनलाईन आवेदन देते हैं। संबंधित कर्मियों को आवश्यक सूचना, ई–मेल द्वारा स्वतः उपलब्ध हो जाती है। परियोजना कर्मी अपने स्थानान्तरण या अन्य कोई सुझाव, शिकायत विषयक आवेदन भी आनलाईन दे सकते हैं। कार्यालयीय अनुशासन के लिए, राज्य एवं जिला स्तर पर बायोमैट्रिक्स सिस्टम का संचालन किया जा रहा है जिससे परियोजना कर्मियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित होती है । आने वाले दिनों में प्रखंड कार्यालयों में भी बायोमैट्रिक्स सिस्टम लागू किये जाने की योजना है। इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में सारे लेन–देन से संबंधित जानकारी अद्यतन की जाती है। हर प्रकार वर्षवार के वित्तीय जानकारी पर इसके द्वारा नजर रखी जाती है। वहीं रोजगार प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियोजन से संबंधित सूचना,, यूथ (नवयुवक) प्रोफाईल आदि की जानकारी उपलब्ध रहती है।

समुदाय आधारित संस्थाओं की अपनी अलग पहचान हो, इसके लिए, सूचना पटल, विभिन्न प्रकार के जानकारियों वाले बोर्ड सामुदायिक आधारित संस्थाओं में प्रदर्शित किये जाते हैं। सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, जिला स्तर से राज्य स्तर तक त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। जीविका की आगामी योजना बिहार सरकार के कागज मुक्त कार्यालय की मुहिम को आगे बढ़ाने की है। इसके तहत सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग एवं NIC के सहयोग से जीविका E&file एप्लीकेशन का कार्यालय स्तर पर उपयोग करने हेतु प्रयासरत है।

इसके अलावे कई अन्य विषयगत एम.आई.एस बनाने की प्रक्रिया भी जारी है।

राजीव रंजन
प्रबंधक संचार, समस्तीपुर

खुले में शौच से मुक्ति की प्रेरणा देता खगड़िया के चौथम प्रखंड का नीरपुर पंचायत

खगड़िया को सहरसा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ 107 पर बसे पीपरा से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर बढ़ने पर चौथम प्रखंड की नीरपुर पंचायत की सीमा शुरू होती है. ग्राम अदाबारी के वार्ड न. 11 में स्थित बालगोविन्द साह के घर की दूसरी मंजिल से इस पंचायत का नजारा कुछ खास ही दिखता है। प्रत्येक कच्चे–पक्के घर के पास चमचमाती टिन की चादरों से ढका एक छोटा सा घर। पूछने पर पता चलता है कि वे सभी हाल ही में निर्मित शौचालय हैं, जिन्हें जीविका की पहल पर बनाया गया है। दो बड़े बड़े गांवों – नीरपुर एवं आदाबारी से मिलकर बना यह पंचायत खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुका है। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण परियोजना के बैनर तले लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त करने की जिम्मेदारी जीविका को दी गयी। यह कार्य आसान नहीं था। जीविका की स्थानीय एवं जिला स्तर की टीम ने इस चुनौती को अवसर के रूप में लिया। इस कार्य में सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि, वे यह समझ सके कि खुले में मल त्यागने से क्या हानि होती है। जीविका के पास एक पुराना अनुभव भी था–समूह की दीदियों द्वारा समूहों की साप्ताहिक बैठकों में हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाने को आत्म–सम्मान से जोड़ने के बाद उनके व्यवहार में आये बदलाव का अनुभव।

अब काम शुरू करना था। अदाबारी गाँव में बने जीविका के कुल चार ग्राम संगठनों में इस बात की चर्चा शुरू हो गयी कि समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण कितना जरूरी है। ग्राम संगठन की चर्चा लिए इसके सदस्य अपने अपने समूहों में भी खुलकर इस पर बात करने लगे। समूह की दीदियों को खुले में शौच न करने पर शपथ दिलाई गयी। स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने अपने घरों में शौचालय निर्माण को लेकर अभिभावकों को संकल्प दिलाया गया. परियोजना कर्मियों की अगुआई में इन चार ग्राम संगठनों में से 10 –10 दीदियों को मिलाकर एक 40 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया। यह बात सितम्बर 2016 की है। इस समिति के सदस्य टुकड़ों में विभक्त होकर सुबह शाम शौच त्यागने वाले स्थान पर निगरानी करने लगे। कहावत है "जहाँ चाह वहां राह"। एक बार जब इन सदस्यों को विषय विशेषज्ञों से अलग अलग माध्यमों, जैसे मल मानचित्रीकरण, शर्म यात्रा, विडियो प्रसारण, रात्रि चौपाल इत्यादि के द्वारा मिले अनुभवों एवं प्रशिक्षणों के बाद खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के प्रति समझ विकसित हो गयी, तब इनमें कभी हार न मानने की इच्छा बलवती हो गयी। प्रतिदिन सुबह के तीन बजे निर्धारित स्थान पर इकठ्ठा होकर पूरे एक माह तक शौच त्यागने वाले स्थानों पर जाकर सुबह शाम निगरानी करने जैसा कठिन काम भी आसान हो गया। इस क्रम में शौच हेतु आने वाले लोगों को समझाया गया। उनके द्वारा की गयी "टट्टी पर मिट्टी" डाली गयी। पूरे एक माह तक हाथ में खुरपी और कुदाल निगरानी दल के सदस्यों के अस्त्र–शस्त्र बन गए। उनके इस कार्य से कुछ ही दिनों में लोगों को लज्जा का अहसास होने लगा। ग्राम स्तर पर आयोजित कई ग्राम सभाओं का केन्द्रीय मुद्दा केवल खुले में शौच से मुक्त गाँव बनाना रहा। इस कार्य में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों का भी पूर्ण सहयोग मिलता रहा। चारों तरफ खुले मे शौच से मुक्ति का एक वातावरण बन गया। ऐसा भी नहीं है कि निगरानी समिति के सदस्यों को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। गाँव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा इस दल के सदस्यों को डराया – धमकाया भी गया पर इस सामजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए सदस्यों की एकता बनी रही और पूरी पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आयी। गाँव के कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। ऐसे लोगों के लिए जीविका के ग्राम संगठन मददगार साबित हुए। ग्राम संगठन ने ऋण उपलब्ध कराकर इन परिवारों के लिए शौचालय बनवाना सुनिश्चित करवाया।

जीविका के प्रखंड कार्यालय के समक्ष भी कई मुश्किलें आयीं। एक तरफ लोगों में यह विश्वास पैदा करना कि सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण के मद में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उन्हें अवश्य मिलेगी वहीं दूसरी तरफ, एक साथ इतने बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण कराना। जीविका की टीम ने सर्वाधिक उपयुक्त एवं सरकार के द्वारा स्वीकृत दो पिट वाले शौचालय के मॉडल के साथ काम की शुरुआत की। लम्बे समय तक काम मिलने की आसा में आस पास के कई राजमिस्त्री शौचालय निर्माण में जुट गए। "पहले बनाओ फिर पाओ" की तर्ज पर लोगों से कहा गया कि वे पहले

अपनी इच्छा के अनुरूप शौचालय का निर्माण कर लें, उसके बाद वार्ड के खुले में शौच मुक्त घोषित होने के साथ ही उन्हें इस मद की 12000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में दे दी जायेगी। यह रणनीति काम कर गयी. परिणाम स्वरुप एक एक दिन में एक गाँव में 12 से 15 की संख्या में शौचालय बनकर तैयार होने लगे।

जीविका के प्रखंड परियोजना कर्मियों, संकुल स्तरीय संघ एवं ग्राम संगठनों के बीच बेहतर समन्वयन से अविलम्ब रूप से प्रोत्साहन राशि के भुगतान होने से, बचे लोगों में भी विश्वास पैदा हो गया और वे इस मुहिम में मन से शामिल हो गए। इस प्रकार 30 मार्च 2017 को एक समारोह के माध्यम से प्रशासनिक प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, जीविका कर्मियों एवं बड़ी तादाद में शामिल जीविका दीदियों समेत नीरपुर के ग्रामीणों की उपस्थिति में नीरपुर पंचायत को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित किया गया। इस यात्रा में कुल छः माह लगे। आज चौथम प्रखंड का नीरपुर पंचायत खुले में शौच से मुक्त है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सरकार द्वारा इस मद में दी जाने वाली 12000 रुपये की राशि अधिकतर लाभुकों को उपलब्ध हो चुकी है, जबकि कुछ बचे लोगों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में चौथम प्रखंड के कुल 13 में से 3 पंचायत क्रमशः तेलौंछ, नीरपुर एवं पीपरा खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं, वहीं तीन पंचायतें क्रमशः बोरने पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी को औपचारिक रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित करने की तिथि पर बात चल रही है। धुतौली एवं हरदिया पंचायतों में खुले में शौच से मुक्ति से सम्बंधित 80% कार्य किये जा चुके हैं। शेष पांच पंचायतों क्रमशः चौथम, ठूठी मोहनपुर, सरसावा, बुच्चा एवं रोहियार में भी शुरू किये गये कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इनमें से तीन पंचायत वर्ष के पांच माह बाढ़ के पानी से घिरा रहता है। इन पंचायतों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, लक्ष्य की प्राप्ति में जीविका चौथम कृत संकल्प है।

छोटे विधाता प्रसाद
प्रबंधक संचार, बेगुसराय

सुलेखा देवी : खुद का शौचालय बनाकर दूसरों के प्रेरणाश्रोत बनी

श्रीमती सुलेखा देवी, उम्र– 42 वर्ष, पति– श्री बिजय सिंह, पता – वार्ड न.–11, अदाबारी, नीरपुर, प्रखंड– चौथम, जिला–खगड़िया, पेशा : खेतीहर मजदूर, परिवार में सदस्यों की संख्या–5 (पति पत्नी एवं तीन लडकी.) प्रतिज्ञा जीविका स्वयं सहायता समूह, गौरव जीविका ग्राम संगठन, नारी शक्ति संकुल स्तरीय संघ)

42 वर्षीया सुलेखा देवी मितभासी हैं। सहजता से अपनी बात रखने में अकुशल होने के बावजूद आज अपनी बात बताने को सबसे आगे बैठी हुयी है। वो कहती हैं कि जब समूह की बैठकों में खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में बार – बार बताया गया। तब वर्षों पुरानी उनकी इच्छा एक बार फिर जाग उठी।उनके पास एक मुंह के खपरैल घर के अतिरिक्त इतनी भी जमीन नहीं थी कि शौचालय बनाया जा सके। गहन सोच विचार के बाद भी वो यह तय नहीं कर पा रही थी कि किस प्रकार और कहाँ शौचालय का निर्माण किया जाय। मानसिक रूप से रुग्न पति से आस रखना उनके लिए बेकार की बात थी। संसाधन के नाम पर उनके पास एक बकरी का बच्चा, एक गाय तथा अपने कान की बाली थी। स्थानीय अंगिका भाषा में बोली–"भाय जी गाय केना बेचथिये ऊहे से तय रोजी रोटी चलय रहे (गाय कैसे बेचते उसी से तो रोजी रोटी चल रहा था)। बचे संसाधनों को बेचने के बाद भी शौचालय निर्माण का खर्च जुटा पाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों तथा सम्मान की रक्षा का प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ था। ऐसे में उसने अपनी बकरी को 1500 रूपया में बेच दी। इसके साथ अपने कान की बाली को गिरवी रखकर 3000 रूपया और जुटा ली. 4500 रुपये के साथ उसने शौचालय निर्माण का कार्य शुरू किया। इन पैसों से उसने शौचालय की शीट एवं ईंट का प्रबंध कर कर लिया. अब सीमेंट, बालू इत्यादि का सवाल खड़ा हो गया। ग्राम संगठन की बैठक में उसने अपनी मजबूरी बताई। तब ग्राम संगठन ने निर्णय लिया कि सुलेखा देवी के शौचालय निर्माण में आगे खर्च होने वाली राशि को ग्राम संगठन मुहैय्या करायेगा जिसका भुगतान प्रोत्साहन राशि मिलाने के बाद सुलेखा देवी के द्वारा कर दिया जायेगा। इस निर्णय के बाद सुलेखा देवी का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। इस प्रकार गौरव ग्राम संगठन ने कुल तीन बार में 2000 रुपये प्रति किश्त की दर से 6000 रूपया सुलेखा देवी को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया। आज अपना शौचालय दिखाते हुए उनके चहरे की चमक आसानी से देखी जा सकती है। सुलेखा देवी न केवल स्वयं का शौचालय बनवाई बल्कि अपने जैसे कई लोगों के प्रेरणास्रोत बनकर सामने आयी।

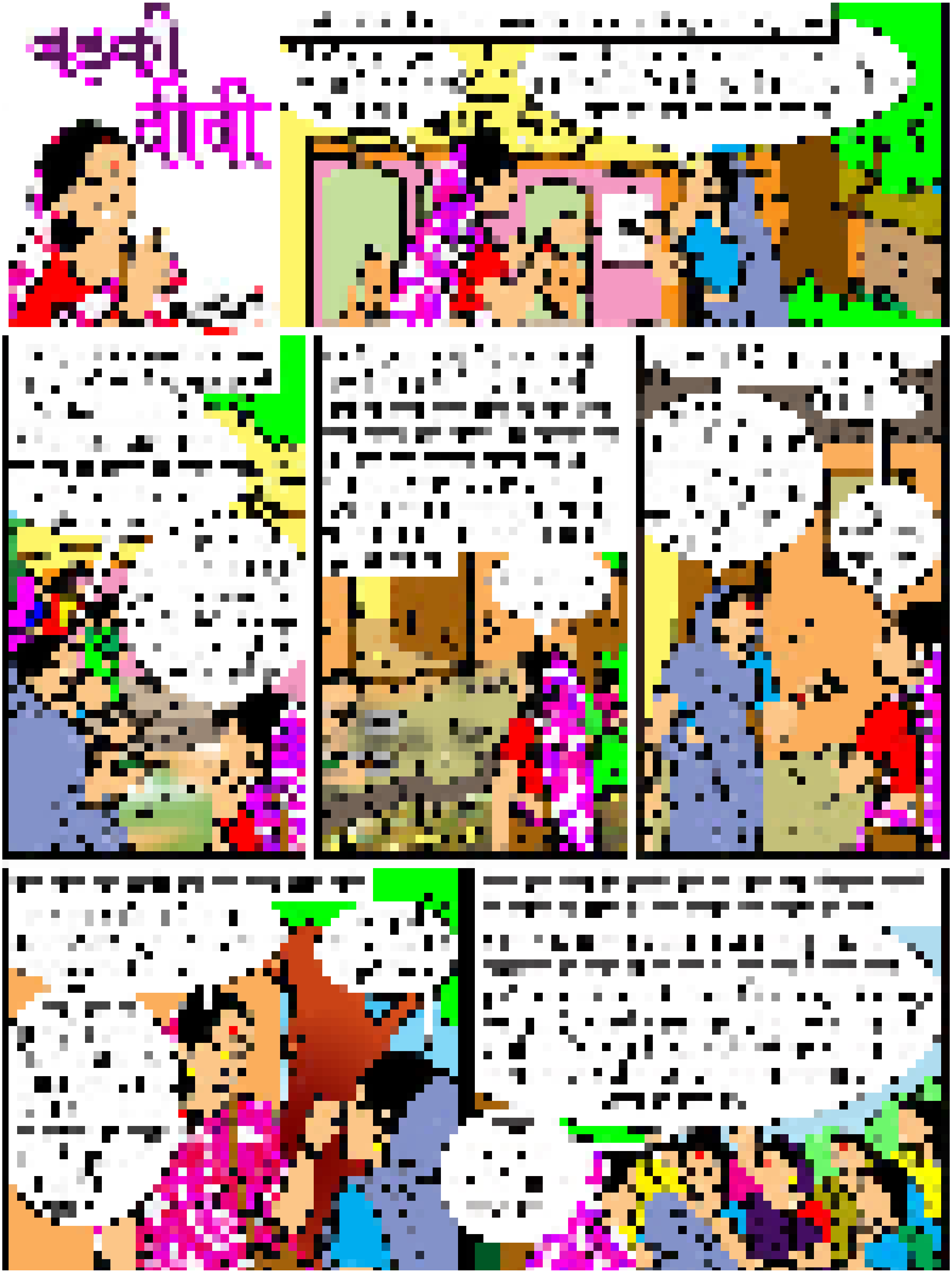

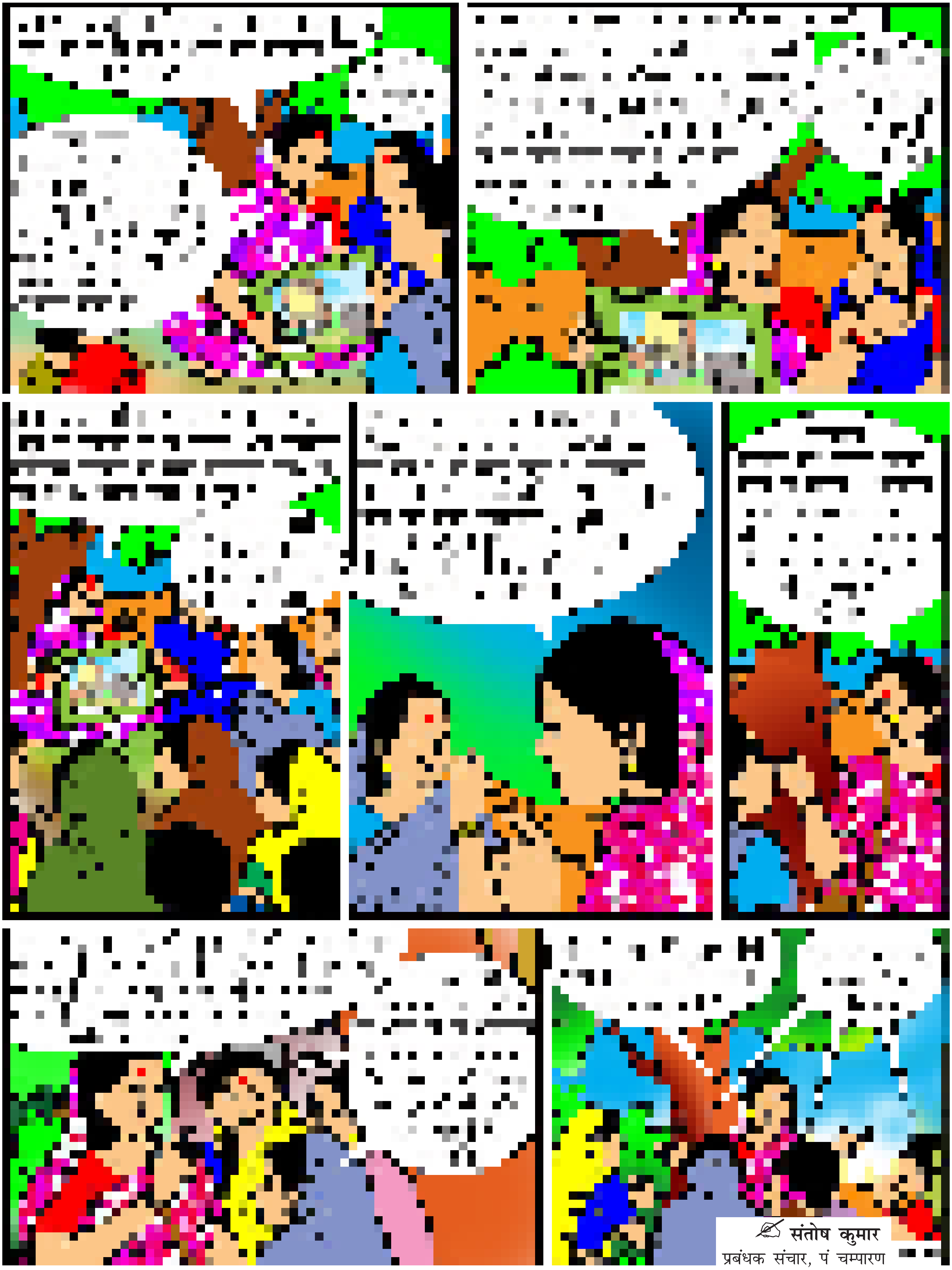
संतोष कुमार
प्रबंधक संचार, पं चम्पारण

सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा शौचालय

समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर विद्यापतिनगर प्रखंड अन्तर्गत कांचा पंचायत के अतिपिछड़े बहुल गांव बहादुरपुर में शांति देवी जैसी दर्जनों महिलाएं अपने परिजनों के साथ जीवन में आये बदलावों को काफी करीब से महसूस कर रही हैं। बहादुरपुर गांव में जीविका द्वारा लाये गये परिवर्तन को समूह और ग्राम संगठनों की बैठकों में नजदीक से एहसास किया जा सकता है। इसी गांव के विन्देश्र महतो की 60 वर्षीय पत्नी शांति देवी का जीवन अब तनावमुक्त बीत रहा है। शांति देवी का सारा तनाव उनके घर में बने नये शौचालय ने खत्म कर दिया है।

शंकर जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव एवं खुशी ग्राम संगठन की सदस्य शांति देवी के चेहरे पर फैली मुस्कान के पीछे उनकी मेहनत एवं उनका संघर्ष रहा है। उन्होंने काफी प्रयास के बाद अपने घर में शौचालय बनवाने में सफलता हासिल की हैं। अब नई नवेली दुल्हन के साथ घर के सभी सदस्य शौचालय का उपयोग करते हैं। शांति देवी इस बात को स्वीकार करती हैं कि 2014 में जब से वे जीविका से जुड़ी हैं, उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। शांति देवी शौचालय निर्माण की चर्चा पर काफी उत्साहित होती हैं। अपने घर में नवनिर्मित शौचालय को दिखाते हुए वे काफी गर्व का अनुभव करती हैं। शांति देवी बताती हैं कि समूह एवं ग्राम संगठन में कई बार शौचालय निर्माण पर चर्चा हुई। मैंने भी अपने घर में इस बारे में बात की लेकिन कभी पैसे की दिक्कत तो कभी अन्य किसी समस्या के कारण से हमलोग शौचालय नहीं बनवा पाये। शौचालय नहीं रहने के कारण घर के सभी सदस्यों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

शांति देवी आगे कहती हैं कि इसी बीच छोटे बेटे के शादी की बात हुई। जहां शादी तय हुई, उन लोगों ने पूछा कि घर में शौचालय है कि नहीं? इस प्रश्न का जवाब देते हुए हमें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे घर में शौचालय नहीं था। लड़की वालों ने कहा कि जबतक शौचालय नहीं बनवायेंगे, शादी नहीं होगी। मुझे समूह और ग्राम संगठनों में शौचालय के महत्व के बारे में दी गयी जानकारियां याद आ गयी। हमें समूह और ग्राम संगठनों की बैठकों में शौचालय के निर्माण एवं उसके उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में कई बार बताया गया था। मैंने अपनी इस समस्या से समूह एवं ग्राम संगठन को अवगत कराया। सभी ने कहा कि 'शांति दीदी शौचालय बनवा लो। कोई समस्या हो तो हमें बताना।' मुझे लगा कि यह अच्छा मौका है। मैंने घर में दबाव बनाया और आखिर घर के सभी लोगों को शौचालय बनवाने के लिए तैयार कर लिया। अब समस्या पैसे के इंतजाम की थी। मैंने समूह से जब शौचालय बनाने के लिए 10 हजार के ऋण की मांग की तो सब तुरंत तैयार हो गये और मुझे जून माह में ऋण मिल गया। ऋण मिलने के साथ ही मैंने शौचालय निर्माण आरंभ करवा दिया। शौचालय बनाने में लगभग 20 हजार रूपये का खर्च आया। शेष पैसे का इंतजाम हमलोगों ने खुद किया। जुलाई 17 में आखिर मेरे सपनों का शौचालय तैयार हो गया।

शांति देवी बताती हैं कि घर के सारे लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। अब हमें अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता और न घर की महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शौचालय आज हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ गया है। वो कहती हैं कि अगर जीविका ने हौसला अफजाई नहीं की होती तो शायद इतना बड़ा काम संभव नहीं हो पाता। शांति देवी अब अन्य जीविका दीदियों को भी शौचालय से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देकर उन्हें भी शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित कर रही हैं।

राजीव रंजन
प्रबंधक संचार, समस्तीपुर

मन की कलम से

FORGIVE US BAPU.

Father!
I see your mutilated body
Scattered by the road.
One of your sons-
Despair and darkness ruling over his soul-
has rubbed inner black on your face.
As I have right to waste myself in your meaningless worship
He also has right to kill you meaninglessly.
As your statue is meaningless
Sterile is his anger.
Something is wrong somewhere!
Roads to freedom are blocked by such stones
The dark has set over his heart,
Gobbling the body and poor soul;
No beacon is there to lead him to light
No milestone to be in sight
Iconoclast has shattered your statue
Perhaps to find a ray of hope
A way out of the dark cavern
A way out to run to his emancipation
Had you been alive Father,
Hadn't you only loved these children-
Eager to run to the door to freedom -
Trampling your body fallen?
Your statue- broken-
Is fallen on the ground
Now holding flowers in my hands, what shall I do?
Had you been alive father, hadn't you forgiven my folly too?

Kumar Anshumaly

होंगे पूरे बापू के शुभ सपने

प्यारे बापू मेरे सपने में आए कल रात
मुझे बिठाकर सुना गए वे अपने मन की बात

श्तुमने बहुत किताबें पढ़ लीं, पाई इतनी शिक्षा
पर, लगता है, भूल गए तुम मेरी जीवन–दीक्षा

जो कुछ कहा उसे जीवन में मैंने स्वयं उतारा
द्वेष–दाह के रिपु मन में थे, उनको पहले मारा

मेरा जीवन स्वयं सबक है और नहीं कुछ कहना
इसे समझना मन्दिर जबतक इस धरती पर रहना

सब खुद करें सफाई घर की, भारत स्वच्छ बनेगा
तभी शान से इसका ध्वज हिम–शिखरों पर फहरेगा।

माना – किया बहुत, जग में भारत का मान बढ़ाया
चन्द्रलोक जा वहाँ तिरंगा भी तुमने लहराया

शुभ संकल्प करो तुम, जय का सेहरा शीर्ष सजेगा
"नहीं करेंगे शौच खुले में" भारत स्वर्ग बनेगा।

घर का मान बढ़ेगा, होगा शौचालय हर घर में
होगा राज चतुर्दिक शुचिता का, हर गाँव–शहर में।

हो यदि पर्यावरण स्वच्छ तब सबल स्वस्थ तन होंगे
स्वस्थ देह में ही दुरूस्त मन, सार्थक जीवन होंगे।

मेरे प्रति श्रद्धांजलि देना चाह रहे तो – आओ
प्यारे बच्चो! – तुम मेरे सपनों का देश बनाओ।

नींद खुल गयी मेरी, मन में जागा नया उछाह
श्मान रखेंगे बापू! मेरे मन में जागी चाह।

जाग गए हम – होंगे पूरे बापू के शुभ सपने
पूर्ण करेंगे हम सब मिल–जुल शपथ लिए जो हमने।

नहीं कभी हम भूलेंगे बापू का यह संदेश
इसे सजाएँगे हम स्वर्ग बनेगा भारत देश।

ब्रजकिशोर पाठक

Process Monitoring

Process Monitoring is one of the most important monitoring tools as it supports the project in understanding, how activities are being delivered in terms of efficiency as well its effectiveness. At the first step, it helps in understanding, whether all the processes are being followed or not, during implementation and even if they are followed, are they as per the expected project norms. In case of noticed deviations, it provides a chance to identify the factors/reasons responsible for such deviations and take corrective steps to minimize the impact of such deviations on project functioning. Further, process monitoring would also help the Project to learn from its own experience and improve upon its effectiveness over time by helping the project in identifying both facilitating and hindering factors. As the interventions under the Jeevika Project are highly process intensive and hence outcomes of all the activities will depend heavily on the quality of processes adopted at all levels during project intervention. It is a key management tool for staff at all levels (State, District, Block), especially for the process driven projects, designed to help implementing organizations become more participatory and demand responsive. It is expected that the findings from the process monitoring exercise will be systematically observed, documented and communicated to have informed decision making.

Process Monitors conduct the process monitoring exercise as per the tools developed and visit a minimum of 3 SHG and 1 Village Organization from each of the villages. Activities under the routine process monitoring are part of the regular tracking and are generally administered during the live meetings of Community Institutions like SHG and VO. Activities under regular Process Monitoring largely focus on functioning of community institutions and the focus area has been the capacity building initiatives, functioning of institutions (*Panchsutra*), management and normal operation of the Community Institutions as per the Community Operational Manual, functioning of Sub Committees, Flow of Masik Prativedan and its follow up, inclusion of targeted groups, record keeping, cadre management etc.

Apart from this 2-3 themes are taken for thematic process monitoring in each of the quarters. In the recently concluded process monitoring exercise the team focused on households which are not part of Jeevika to understand the profile of such households and understand the reasons for their non-inclusion. The other theme selected for thematic process monitoring was the SHG-Bank Linkage. This focused on opening of saving account opening of the SHG, their Credit Linkage, fund sanctioned and disbursed, of repayment between SHG-Bank with focus on management of irregular loans etc. In addition to this multiple lending's and indebtedness of the households was taken as the other theme as part of thematic process monitoring.

Process Monitoring agency also selected 25 villages from the list of ODF villages as per MIS maintained for SBM -Grameen. Both quantitative and qualitative aspects of the intervention under SBM were covered under process monitoring. Emphasis was given on Household discussions to understand the pattern of usage, operation and maintenance and adherence to basic practices on sanitation which are explained to members. In this quarter 25 case studies with focus on sanitation related activities were also documented and for peer learning purpose it has also been published in the form of Case Booklet.

In each month based on the field visits district/block level presentation are conducted. Along with the district presentations in many districts block level presentations are also organized by the DPCU for learning of field teams. In most of the districts these presentations were clubbed with monthly review meeting of the districts which ensured higher participation. District Mentors from SPMU also participated in many of the monthly district presentations.

Mr. Amit Kumar Shahi
Process Monitoring Agency-TARU

• EVENTS

Tableau focussing on importance of sanitation presented on The Independence Day

Workshop on Strategic Communication

Launch of JEEViKA's Quarterly Magazine "The ChangeMakers"

Consultative workshop on Enterprise Survey

बिहार सरकार

JEEViKA

Rural Development Department,Govt. of Bihar
Vidyut Bhawan - II,1st Floor, Bailey Road, Patna- 800 021;
Ph.:+91-612-250 4981 :: Fax : +91-612-250 4960,
Website : www.brlp.in :: E-mail : ceo@brlp.in